जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 12-04-2021

आज दिनांक 12.04.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामपूजन पुत्र सितई निवासी तुर्कवलिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 190/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी पुलिस चौकी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, हे0का0 रामप्रीत, का0 अनूप कुमार शर्मा।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- रमजान पुत्र सलीम 2- मुन्नन पुत्र तुफैल निवासीग दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव, का0 मंजीत सिह, का0 रोहित कुमार, का0 नन्दकिशोर भारती।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1497 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1497</u> को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत मेंहदूपार के पास से इवेन्ट संख्या 01581 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा कॉलर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धर्मसिंहवा भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 विरेन्द्र प्रसाद, आ0 गोपाल ठाकुर, हो0चा0 रोहिताश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.04.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनो से 51500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।